संख्या–वे0आ0–2– 1986 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा के सम्मिलित संवर्ग के स्थान पर शैक्षिक संवर्ग, प्रशिक्षण संवर्ग तथा सामान्य प्रशासनिक संवर्ग के पदों का अलग–अलग संवर्ग निम्नवत् बनाया जाय :–

(i) सामान्य प्रशासनिक संवर्ग

क0 सं0	पदनाम / पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)
1–	खण्ड शिक्षा अधिकारी / 1031	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800
2–	बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य / 864	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400
3–	जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य / 203	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600
4–	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक व अन्य / 110	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600
5–	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व अन्य / 598	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600
6–	अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) व अन्य / 14	वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700

(ii) शैक्षिक संवर्ग

कम सं	पदनाम/पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)
1–	सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक राजकीय इण्टर कॉलेज/7520	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600
2–	प्रवक्ता राजकीय इण्टर कॉलेज/5322	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800
3–	प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज/555	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600

(iii) प्रशिक्षण संवर्ग

कम सं0	पदनाम/पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)
1–	प्रवक्ता (डायट) व अन्य/1272	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800
2–	वरिष्ठ प्रवक्ता (डायट) व अन्य/473	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400
3–	उप प्राचार्य (डायट) व अन्य/ 124	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600
4–	प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान व अन्य/75	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600

(2) राज्य शिक्षा सेवा के वर्तमान अधिकारियों को पुनर्गठित प्रशासनिक संवर्ग अथवा शैक्षिक संवर्ग अथवा प्रशिक्षण संवर्ग में से किसी एक संवर्ग में समायोजन हेतु प्राथमिकता के विकल्प का अवसर दिया जाए। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में यदि किसी संवर्ग में समायोजित किये जाने हेतु स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक विकल्प प्राप्त होते हैं तो वरिष्ठता के आधार पर उक्त संवर्ग में अधिकारियों का समायोजन किया जाए। उपरोक्तानुसार समायोजन हेतु दिया गया विकल्प अथवा विकल्प प्रस्तुत न करने की दशा में किया गया समायोजन अपरिवर्तनीय होगा।

(3) उपर्युक्तानुसार पुनर्गठित प्रशासनिक संवर्ग में प्रथम स्तरीय पद खण्ड शिक्षा अधिकारी के पदधारकों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर बेसिक शिक्षा के कार्यो के साथ–साथ माध्यमिक शिक्षा के कार्यो को भी देखा जायेगा। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत इनके द्वारा समस्त वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूल स्तर तक के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण आदि का कार्य भी किया जायेगा।

(4) माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय, उ0प्र0 के गोपनीय संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय) के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैंड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैंड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाय। सहायक सचिव के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 6500–10500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(5) लिपिकीय संवर्ग, लेखा संवर्ग तथा आशुलिपिक संवर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी सहित अन्य सामान्य संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियॉ इस विभाग में उक्त संवर्ग के पदों पर भी लागू होंगी।

(6) माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2–1986 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।